

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनू (राज०)पीठासीन अधिकारी:- सुमन देवी
(आर.ए.एस.)दावा बाबत घोषणार्थअन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाईमुकदमा नम्बर :- 67/2025 (मुकेश कुमार वगै० बनाम दीनदयाल वगै०)

निर्णय दिनांक :-15.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुमन देवी(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15.10.2025 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम निराधनू स्थित ख०न० 279 रकबा 1.88 है० के स्थान पर ख०न० 245/1138 रकबा 1.40 है० दर्ज कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 14 व 15 को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ख०न० 245/1138 रकबा 1.40 है० के स्थान पर ख०न० 279 रकबा 1.88 है० दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे। दावा फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 15.10.2025 को जारी की गई।



(सुमन देवी)

उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर